

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 641/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
मैसर्स हीरो फिनकार्प लि. 34, बसंत लोक, बसंत विहार, न्यू देहली ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स कौशल एक्सपोर्ट द्वारा पार्टनर श्री नवीन अग्रवाल
कार्यालय पता-137-138, दाधा दामोदर जी की गली, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता, जयपुर एवं
H1-124, स्पेशल इकोनोमिक जोन-2, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर।
2. नवीन अग्रवाल
3. श्रीमती ज्योत्सान अग्रवाल
4. श्रीमती सुशीला अग्रवाल
पता-137, दाधा दामोदर जी की गली, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

उपस्थित:-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।


आदेश

दिनांक 28.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को
को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुशीला देवी के स्वामित्व की
सम्पत्ति मकान नं. 137-138, 64 Sq Ft. X 57 Sq Ft.—Garage 9.5 Sq Ft. X 19 Sq Ft. नाटानियों के
मन्दिर के पीछे, राधा दामोदर जी की गली, नाटानियों का रास्ता, मोदीखाना, जयपुर को बन्धक
रख कर 25.10.2018 को राशि 1,50,00,000/-रुपये एवं दिनांक 08.08.2020 को
1,00,00,000/-रुपये एवं 44,07,000/-रुपये कुल 2,94,07,000/-रुपये की ऋण सुविधा
उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में
असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.07.2022 को
रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज
भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु
आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

५४
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण में अप्रार्थी ऋणी की ओर से केवीयट पेश की गई थी। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 2,94,07,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 2,34,20,181.44/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुशीला देवी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति मकान नं. 137-138, 64 Sq Ft. X 57 Sq Ft. & Garage 9.5 Sq Ft. X 19 Sq Ft. नाटानियों के मन्दिर के पीछे, राधा दामोदर जी की गली, नाटानियों का रास्ता, मोदीखाना, जयपुरका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर